

प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 26-11-2024

पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से बलात्कार करने आरोप में संलिप्त अभि० को मा० न्या० द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 1,27,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु०अ०सं० 205/2024 धारा 376AB/377/506 भादवि तथा 5M/6 पोक्सो अधिनियम बनाम 1- वीरेश पुत्र दरियावसिंह निवासी मौसमपुर थाना कादरचौक जनपद बदायूं की विवेचना विवेचक उप निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम, बदायूं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का० सौरभ कुमार शर्मा थाना कादरचौक द्वारा मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम, बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 26-11-2024 को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम, बदायूं द्वारा अभियुक्त वीरेश उपरोक्त को धारा 377/506 भादवि व 5M/6 पोक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 1,27,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अधिरोपित अर्थदण्ड सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को चिकित्सापूर्ती के रूप में देय होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी, श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री प्रदीप भारती एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।